

 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>भारत सरकार Government of India वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय Ministry of Commerce & Industry, विकास आयुक्त का कार्यालय Office of the Development Commissioner, सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400 096 SEEPZ-Special Economic Zone, Andheri (E), Mumba- 400 096 टेलि. / Tel. : 022-28294719/03 फैक्स/Fax : 28291385, , ई-मेल/E-mail: jdcseepz-mah@nic.in वेबसाइट/Website: www.seepz.gov.in</p>	 <p>75 जाज़ादीक अमृत महोत्सव</p>
---	---	---

दिनांक:21.06.2024

सार्वजनिक सूचना सं. 04/2024
PUBLIC NOTICE No. 04/2024

विषय: एसईजेड ऑनलाइन मॉड्यूल (डीपीएफ/डीएसपीएफ) पर चालान का समर्थन-संबंधी।
Sub: Endorsement of invoices on SEZ online module (DPF/DSPF)-reg.

सीपज़-सेज़ की सभी इकाइयों/डेवलपर्स का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) आपूर्तिकर्ताओं से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से संबंधित चालान का समर्थन अनिवार्य मानदंड है। सुचारू और समय पर सुविधा के साथ-साथ फेसलेस प्रोसेसिंग के लिए, एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम पर '**डीटीए खरीद फॉर्म**' (डीपीएफ) और '**डीटीए सेवा खरीद फॉर्म**' (डीएसपीएफ) का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं की डीटीए खरीद से संबंधित चालान के समर्थन /अनुमोदन के लिए किया जाना है। डीटीए सेवा खरीद मॉड्यूल 01.10.2019 से परिपत्र संख्या 304/2019 दिनांक 24.09.2019 के माध्यम से प्रभावी है। हालाँकि, डीटीए से खरीदे गए सामान को एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम में डीपीएफ दाखिल करने के बाद ही सीपज़-सेज़ के अंदर दर्ज किया जाता है।

Kind attention is invited to all Units/Developers of SEEPZ-SEZ that endorsement of invoices pertaining to procurement of goods and services from domestic tariff area (DTA) Suppliers are mandatory norms. In order to smooth and timely facilitation as well as for faceless processing, '**DTA Procurement Form**' (DPF) and '**DTA Service Procurement Form**' (DSPF) on SEZ online System are to be used for endorsement/approval of invoices related to DTA procurements of goods and services. The DTA Service procurement module is effective from 01.10.2019 vide Circular No.304/2019 dated 24.09.2019. However, goods procured from DTA are entered inside SEEPZ-SEZ only after filing DPF in SEZ online system.

2. अब, इकाइयों/डेवलपर्स को '**डी.पी.एफ. खरीद फॉर्म**' (डी.पी.एफ.)/'**डी.टी.ए. सेवा खरीद फॉर्म**' (डी.एस.पी.एफ.) के साथ डी.टी.ए. आपूर्तिकर्ता(ओं) द्वारा जारी उचित जी.एस.टी. चालान की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करनी होंगी। सेवा चालान के साथ भुगतान प्रमाण भी संलग्न किए जा सकते हैं , ताकि एस.ई.जेड. ऑनलाइन सिस्टम में अनुमोदन/अनुमोदन से पहले सत्यापन किया जा सके। इकाइयों/डेवलपर्स

को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे सभी चालान उनके मासिक रिटर्न जी .एस.टी.आर.-2 ए में विधिवत रूप से दर्शाए गए हों।

Now, the Units/Developers are required to upload scanned copies of proper GST invoices issued by the DTA Supplier(s) along with the '**DTA Procurement Form**' (DPF) / '**DTA services Procurement Form**' (DSPF). The service invoices may also be accompanied with payment proofs for verification before endorsement/approval in SEZ online system. The Units/Developers are also required to ensure that all such invoices are duly reflected in their monthly returns of GSTR-2A.

3. यह दोहराया जाता है कि माल और सेवाओं की खरीद के संबंध में चालान के सभी समर्थन अब से केवल एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम पर ऑनलाइन होंगे और समर्थन से पहले भौतिक दस्तावेजों की प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं होगी। भौतिक समर्थन केवल इकाइयों /डेवलपर्स के अनुरोध पर और एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम में समर्थन/अनुमोदन लेने के बाद ही किया जा सकता है।

It is hereby reiterated that all endorsements of invoices in respect of procurement of goods and services shall henceforth be online on the SEZ online system only and presentation of physical documents before endorsement would not be required. Physical endorsement may be undertaken only at the request of the Units/Developers and after taking endorsement/approval in SEZ online system.

4. यदि कोई कठिनाई, सुझाव या समस्या हो तो उसे jdcseepz-mah@nic.in या customseepz-mah@nic.in पर नीचे हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में लाया जा सकता है।

Difficulty, suggestion or problem, if any, may be brought to the notice of the undersigned on jdcseepz-mah@nic.in or customseepz-mah@nic.in.

5. इसे विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.



(प्रसाद वरवंटकर)

विनिर्दिष्ट अधिकारी, सीपज़-एसईजेड, मुंबई

प्रतिलिपि:

1. सीपज़-सेज़ के सभी अधिकारीगण/All Officers of SEEPZ-SEZ
2. सीपज़-सेज़ रत्न एवं आभूषण विनिर्माण संघ (एसजीजेएमए)
SEEPZ-SEZ Gems & Jewellery Manufacturing Association (SGJMA)
3. सीपज़-सेज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन (सीमा)
SEEPZ-SEZ Electronics Export Manufacturing Association (SEEMA)
4. सीपज़-सेज़ में सभी इकाइयाँ और डेवलपर्स/All units & Developers in SEEPZ-SEZ

5. आईटी अनुभाग - www.seepz.gov.in पर अपलोड करें
IT Section- to upload on www.seepz.gov.in